FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम– मण्डावर (दौसा)

मु.नं.– 35/21(विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर बनाम पं.हे. कोट

भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.22		

प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा राजस्व ग्राम गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर के भूमि निजी खातेदार सिंचाई विभाग खसरा नम्बर 1979 रकबा 0.46 हैक्टे. किस्म बारानी 2 सम्पूर्ण भूमि मे से रकबा 0.04 हैक्टे. मौके पर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौके रिपोर्ट पटवारी हल्का कोट एवं भू.अ.नि. हल्दैना एवं परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार मंडावर प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोट में पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है एवं मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बारानी 2 दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै० मु० रास्ता आमजन हित मे दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारान सिंचाई विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.10.2021 को नोटिस जारी कर दिनांक 14.12.2021 को न्यायालय में बुलाया गय परन्तु उक्त तिथि को किसी भी निजी खातेदारान सिंचाई विभाग द्वारा अपना कोई पक्ष/जवाव/सहमति नही दी। पुनः सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता कार्यालय जिला दौसा को अपना पक्ष रखने हेतु स्मरण पत्र कमांक/राजस्व/2022/269 दिनांक 24.03.2022 जारी किया गया जो बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसका जवाव कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड दौसा के पत्र कमांक 251 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा उक्त प्रस्तावति रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के लिए सहमत प्रदान की है। जो शामिल पत्रावली है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का कोट तहसीलदार मण्डावर , अनापत्ति प्रमाण पत्र सिंचाई विभाग व अन्य संलग्न दस्तावेजात व सुसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित बारानी 2 भूमि के मौके पर संलग्न प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू है। इस प्रकार यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 स्वीकार किया जाता है। उक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड में से गै० मु० रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क0 सं0	नाम ग्राम	खं नं	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा जो मौके पर चालू है।
01	कोट	1979	0.46	बारानी 2	0.04

तहसीलदार मण्डावर उपरोक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा लाल स्याही से प्रस्तावित रकबे को गै0मु0 रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल परामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहरीर जारी हो।

मिसल फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)